कार्यालय, परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोयलीबेड़ा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

महिला एवं बाल विकास विभाग

I.C.D.S

icdskoilibeda.kan@gmail.com **Phone No. 9770418763**

कमांक / 652 / मबावि. / नियुक्ति. / 2026–27 कोयलीबेड़ा. दिनांक– 28 / 10 / 2026

परिशिष्ट–एक (विज्ञापन)

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

/ / सूचना / /

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ,डी.के.एस.भवन,रायपुर क्रमांक 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 रायपुर दिनांक 02. 04.2008 एंव विभागीय संशोधित आदेश क्रमांक 1226 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 नवा रायपुर दिनांक 21.04.2023 के तहत निम्नानुसार ऑ0बा0 केन्द्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद रिक्त होने के कारण इस पद पर नियुक्ति की जानी है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर का पत्र दिनांक 07.01.2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का भर्ती आनलाईन प्रक्रिया द्वारा किया जाना है। नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थीयों से आवेदन 27.08.2026 से 10.09.2026 एवं दिनांक 06 / 10 / 2026 से 21 / 10 / 2026 तक आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन अवधि में पात्र आवेदन प्राप्त नही होने के कारण से आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाते हुये दिनांक 28.10.2026 से 04.11.2026 तक ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदिका नीचे दिए गए लिंक अथवा ई–भर्ती साईड के माध्यम से नियत तिथि तक आवेदन कर सकते है। नियत तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। (भर्ती लिंक **https://aww.e-bharti.in/**) आंगनबाड़ी केन्द्रवार रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम पंचायत नाम	ग्राम का नाम	केन्द्र का नाम	पद का नाम एवं पद सं.		रिमार्क
				कार्यकर्ता	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7
1	चारगांव	बिलाईकच्छार	बिलाईकच्छार	0	1	
2	दड़वीसाल्हेभाट	दड़वीसाल्हेभाट	दड़वीसाल्हेभाट	0	1	
	योग:–			**0**	**2**	

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है:–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के माध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी। सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए होगें।)
2. आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतक आयु सीमा 62 वर्ष होगी।

3. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है, (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।)

4. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे। अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जावे वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड ग्राम एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

5. नव विवाहित महिला/ विधवा आवेदिका के प्रकरण में शपथ–पत्र (स्टाम्प) एवं पर्यवेक्षक का सत्यापन पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. आवेदन फार्म के साथ संलग्न की जावे वाली सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित कर लगाये जावेंगे।

7. **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिएः–**

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना, में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी, इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवीं बोर्ड एवं इसके उपरान्त भी आवेदिका न मिलने पर पांचवी उर्त्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पत्र भी विचार किया जावेगा।

(1) अनुभवी सहायिका/सह सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।

8. अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. गरीबी रेखा परिवार की महिला होने पर सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

10. विधवा परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जावे अथवा तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालय आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परित्यकता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

11. आंगनबाड़ी सहायिक पद हेतु मूल्यांकनः–

क्र.	योग्यता	प्रदाय किये जाने वाले अंक	कुल अधिकतम प्राप्तांक
1	आठवीं उत्तीर्ण अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता	कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 60 प्रतिशत अंक के बराबर अंक	60
2	विधवा अथवा कम से कम दो वर्ष से अधिक समय तक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग की महिला होने पर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	10 अंक	10
4	पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता /सहायिका/ सहसहायिका होने पर	1 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव पर 6 अंक	06
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	6 अंक	06
6	अनुसूचित जाति /जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने पर	3 अंक	03
	योग अधिकतम प्राप्तांक		**100 अंक**

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

टीपः– कक्षा 8 वीं में ग्रेड से उत्तीर्ण होने वाले आवेदनकर्ता को संबंधित शाला/संस्था से उत्तीर्ण अंक से संबंधित शाला प्रमुख/प्रधान पाठक का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(जगदीश परते)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोयलीबेड़ा, जिला–उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

पृ.कमांक / 653 / मबावि. / नियुक्ति / 2026–27 कोयलीबेड़ा. दिनांक– 28 / 10 / 2026

प्रतिलिपिः–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं महिला विकास विभाग कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंखाजूर / कोयलीबेड़ा जिला–कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला–कांकेर की ओर सादर प्रेषित।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वा. केन्द्र कोयलीबेड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर.....की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु पालनार्थ।
7. सरंपच / सचिव ग्राम पंचायत.....की ओर सूचनार्थ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
कोयलीबेड़ा, जिला–कांकेर (छ.ग)

कार्यालय पूर्व/कन्या माध्यमिक शाला.....

विकासखण्ड..... जिला.....

क्रमांक/ / / दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि कु..... पिता श्री.....

जाति.....जन्मतिथि..... ने सन्.....

में कक्षा 8वी इस शाला से उत्तीर्ण की है। जिनका पूर्णांक, प्राप्तांक एंव प्रतिशत अंक की जानकारी शाला परीक्षाफल पंजी के अनुसार इस प्रकार है।

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक		महायोग	प्रतिशत	ग्रेड
		प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर			

हस्ताक्षर/शील